

कार्यालय

क्रमांक :—राजमावि / /

दिनांक.....

आयकर कटौति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण / कार्मिकगण से वित्त वर्ष 2022–23 के आयकर गणना पत्र प्राप्त कर लिये हैं एवं समस्त आयकर गणन पत्रों की जांच कर आयकर टीडीएस की कटौति कर ली है। वेतन के अलावा अन्य विनियोग दस्तावेज अधिकारी/कर्मचारीगण से प्राप्त कर लिये गये हैं एवं संवेतन बिल की कार्यालय प्रति के साथ सुरक्षित रख लिये गये हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आयकर गणन के साथ संलग्न ट्यूशन फीस रसीदों की सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है तथा किसी भी अधिकारी कर्मचारी को विदेशी संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस या किसी कोचिंग संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस की आयकर में राहत प्रदान नहीं की गई है। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं की दान की गई राशि के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर आयकर में छूट प्रदान नहीं की गई है। वित्त वर्ष 2022–23 में संवेतन आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में मेरा होगा।

हस्ताक्षरडीडीओ मय मुहर